25.5.16	पत्रावली आज तारीख अदालत कैम्प धीरोडपुर में पेश हुई। वकील वादी Mr R.P. काजला ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वे इस मामले को आगे चलाना नहीं चाहते हैं दावा Not Press में खारिज किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर दावा खारिज किया जाता है। आपसी फैसला शुल्क होकर वाद तद्नुसार निस्तारित होकर	Not Press

सोसियेशन, दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner